

पुनः समग्र की मांग की। समग्र दिया जावे।
प्रत्युत्तर शामिल की जाकर पत्रावली आगामी
पेशी तिथि 07/02/2023 को पेश हो।

07/02/2023 पत्रावली पेश हुई। और साग्रल ने शर्चना पत्र पेश कर
स्वयं अपने प्रकरण की पेशी का निवेदन किया एवं समस्त
कालतनामा की निरस्त करने की मांग की। आवेदन शामिल
पत्रावली किया जाकर पत्रावली आगामी पेशी तिथि 14/02/23 को
पेश हो।

14/02/23 पत्रावली पेश हुई। और साग्रल ने उपरि उचित होकर लिखित
जवाब को दोहराकर कार्यवाही निरस्त करने की मांग की।
समस्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथ्य संक्षेप में
इस प्रकार हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत काजड़ा द्वारा
वादग्रस्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा ग्राम पंचायत को
आवंटित करने का निवेदन किया। जिस पर पटवारी हल्का
द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर और साग्रल को नोटिस
पारी किया गए। और साग्रल ने लिखित प्रत्युत्तर में निवेदन किया
है कि समस्त गांव काजड़ा निवासी खाता नं० 1 की भूमि पर
रिहायश कर रहा है, परंतु कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।

और साग्रल ने वादग्रस्त भूमि को पट्टाशुद्ध बनाने
हुए बताया है कि रिहायश हेतु पक्के मकान बनाकर पूर्वजों के
समग्र से आबाद है। जबकि पटवारी रिपोर्टनुसार कब्जे की प्रकृति
कपास की धड़ी डालकर है अतः दोनों तथ्य विरोधाभासी हैं।
और साग्रल द्वारा पेश पट्टा वादग्रस्त भूमि का ही है यह स्पष्ट
नहीं होता। पेश दस्तावेज जिसे और साग्रल द्वारा पट्टा कहा
जा रहा है केवल दायरगति है, जो कि न प्रमाणित, न ही सत्यापित
न ही पंजीकृत है अतः पट्टे के रूप में स्वीकार नहीं है। अतः
दस्तावेज की वैधता संदिग्ध है। पूर्वजों के समग्र से निवास का
कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है।

ल द्वारा बताया गया है कि नक्शा दुसली का विचाराधीन है, साक्ष्य स्वरूप पेश दस्तावेज न मानित है, न सत्यापित न ही आज दिनांक तक कार्यवाही पेश की गई है। केवल माह सितम्बर 2022 तक ही कार्यवाही की मात्र क्षमता प्रति सलज्ज है। सलज्ज दस्तावेज साक्ष्य रूप में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता।

गैर सामल द्वारा पेश त्क्युत्तर में बताया गया है कि वादग्रस्त भूमि का पट्टा लेने हेतु आवेदन किया गया है, जबकि वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत के खाते में नहीं है। अतः ग्राम पंचायत पट्टा जारी करने हेतु अधिकृत नहीं है।

गैर सामल द्वारा पेश समस्त त्क्युत्तर निराधार है। गैर सामल द्वारा उक्त भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का निवेदन किया गया है। राज्य सरकार की मंशा एवं आदेशानुसार भी उक्त भूमि ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की जानी है। उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाने हुए आग्रह कार्यवाही करना व्यापसंगत प्रतीत नहीं होता।

अतः आदेश है कि वादग्रस्त ख.नं 375 किस्म गै.क्र. आबादी के ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जावे। ग्राम पंचायत तदनुसार विधिसम्मत कार्यवाही करे। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के मद्देनजर गैर सामल के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त की जाती है। निर्णय सर्वे इजलास सुनाया गया। पचावली कैसल शुमार हीकर नं 01 से कम है।

— 21 —